

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/14-15/2043

दिनांक: 13/06/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23(2) के उपबन्धों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिये रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नियम 23(3) के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की अनुपस्थिति में किसी एक मतदान अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। नियम 23(2) एवं (3) के प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

"23. Notification of election.- (2) The District Election Officer (Panchayats) shall appoint a person by name or by virtue of his office to act as Returning Officer for each Panchayat circle.

(3) The District Election Officer (Panchayats) may also authorise one of the Polling Officer appointed for booths of each Panchayat circle or any other officer to act as Returning Officer in the event of the Returning Officer being unavoidably prevented from performing his functions."

इसी क्रम में नियम 31 के उपबन्धों के अनुसार मतदान अधिकारियों, सहायक मतदान अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी का रखा गया है। नियम 31 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

"31. Polling Officer and other staff.- (1) For each polling booth the Officer nominated by the District Election Officer (Panchayats) shall appoint, by name or by virtue of office, as many persons to act as Polling Officer/Assistant Polling Officer and such other staff as he thinks necessary to assist each Polling Officer and Returning Officer: Provided that if a Polling Officer or any other member of the staff is absent from polling station or polling booth the Returning Officer may appoint any person to act in place of such absentee and inform the District Election Officer (Panchayats) accordingly: Provided further that no person who has been employed by or on behalf of or has been otherwise working for a candidate in or about the election, shall be appointed as Polling Officer or a member of the staff.

(2) The Polling Officer and other staff appointed under sub-rule (1) shall perform such duties and exercise such powers as are imposed and conferred on them by these rules or as are entrusted to them by the Returning Officer.

Explanation:- The Polling Officer in Panchayat election shall function as Presiding Officer of a polling booth."

चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 243ट में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 5214 दिनांक 30.10.2014 को अधिक्रमित करते हुए इस संबंध में यह निर्देश जारी करता है कि :-

1. प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिये एक रिटर्निंग अधिकारी होगा।
2. प्रत्येक मतदान बूथ के लिये 5 व्यक्तियों का एक मतदान दल होगा। मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगें।
3. जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच का निर्वाचन एक साथ होने पर एक ही दल द्वारा उक्त चारों पदों के लिए मतदान कार्य संपन्न कराया जाएगा। पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस पंचायत के सभी मतदान दलों के लिए पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा।
4. जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य एवं पंच/सरपंच का निर्वाचन पृथक-पृथक चरणों में होने पर जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य एवं पंच/सरपंच के लिए पृथक-पृथक मतदान दलों को नियुक्त किया जाएगा। कार्मिकों का अभाव होने पर पूर्ववर्ती चरणों के लिए मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को पश्चात्वर्ती चरणों के लिए मतदान दलों में नियुक्त किया जा सकता है।
5. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी पंचायत सर्किल के वार्डों की संख्या 20 से अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक अतिरिक्त 15 वार्डों के लिए उस पंचायत सर्किल हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
6. रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, उस पंचायत वृत्त के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत कर सकेगा।
7. रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अधिकारी से उच्चतर पद का अधिकारी होगा। मतदान अधिकारी विधानसभा/लोकसभा चुनाव के लिये नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समान स्तर का होगा। मतदान दलों के लिए मतदान अधिकारी जहाँ तक सम्भव हो राजपत्रित अधिकारियों को ही लगाया जाए, लेकिन यदि राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरवाइजरी स्टाफ को भी मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
8. मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में एक सहायक मतदान अधिकारी के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर का कार्मिक नियुक्त किया जाएगा।
9. मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जाए जो उस पंचायत समिति का निवासी/पदस्थ हो, जिसके अंतर्गत वह मतदान केन्द्र/बूथ आता हो। पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों को अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान दलों में लगाया जा सकता है।
10. मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों/कार्यालयों/ संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन सूचियों तैयार की जाए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के दृष्टिकोण से आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित रूप से मिलाया जाकर (Mix-up) मतदान दलों में नियुक्त किया जाए।

11. रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं एक सहायक मतदान अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को एवं द्वितीय प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल के समस्त सदस्यों को मतदान दल की रवानगी के दिन दिया जायेगा।
12. मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद/वेतनमान/स्तर के अनुरूप ही की जाए। चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ अधिकारी/कार्मिक के अधिनस्थ किसी वरिष्ठ अधिकारी/कार्मिक को नहीं लगाया जाए।
13. किसी भी मतदान केन्द्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुनर्मतदान हेतु आरक्षित मतदान दलों की संख्या 10% रखी जाए।
14. निम्नलिखित की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाए:-
 1. केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक।
 2. ऐसे कार्मिक जो किसी उम्मीदवार से संबद्ध हों।
 3. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
 4. यथा संभव दिव्यांग कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए।
 5. यथा संभव महिला कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए। पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं।

आज्ञा से,


सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/14-15/2014-47
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं:-

दिनांक: 13/06/19

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


उप सचिव 13.6.2019
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर